उच्चतर शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

"जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक विश्व के कल्याण की संभावना नहीं है। एक पक्षी के लिए एक पंख पर उड़ान भरना संभव नहीं है"–स्वामी विवेकानंद

अभातशिप द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में
लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
प्रारंभ की जा रही योजना

प्रगति

योजना द्वारा लागू :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई)

नई दिल्ली–110001

www.aicte-india.org

"विकास की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ शिक्षा, महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।''.... जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन–कार्रवाई के कार्यक्रम, पैरा 4.2 (यूनेस्को)

''शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण'', एक प्रभावी छात्रवृत्ति योजना है जिसमें 20 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवर्ष शिक्षा शुल्क और आकस्मिक व्यय के रूप में छात्राओं को अभातशिप सम्बद्ध संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान की जायेगी।

छात्रवृत्ति की मुख्य विशेषताएं

- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति की संख्या : 4000
- प्रत्येक परिवार से *एक लड़की* जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रू0 से कम हो
- तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का चयन अर्हता परीक्षा की वरीयता के आधार पर किया जाएगा
- अभ्यर्थी ने केंद्र/राज्य सरकार के केन्द्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2014–15 के दौरान अभातशिप अनुमोदित संस्थान से किसी डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया हो
- छात्रवृत्ति की राशि : प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क रु. 30,000/– या वास्तविक, जो भी कम हो एवं रु. 2,000/– प्रति माह की दर से 10 महीनों के लिये आकस्मिक व्यय।

आवश्यक प्रमाण पत्र

- दसवी/बारहवीं/अन्य जो लागू हो, कक्षा की अंक तालिकाओं की प्रतियां
- तहसीलदार या उच्च अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
- डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि
- शिक्षण शुल्क की रसीद की प्रतिलिपि
- बैंक पास बुक की प्रतिलिपि जिसमें छात्र का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड तथा फोटोग्राफ हो
- छात्र के पैन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि उपलब्ध हो)
- छात्र के आधार कार्ड की प्रतिलिपि (यदि उपलब्ध हो)
- संस्थान के निदेशक/प्राचार्य/प्रधान द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र
- माता–पिता द्वारा घोषणा का प्रपत्र

सत्यमेव जयते

उच्चतर शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार

"उन्हें शिक्षा दो........ उन्हें कल्पनाशील बनाना होगा......... और तब वे अपनी स्वयं की मुक्ति हेतु कार्य करेंगे"–स्वामी विवेकानंद

अभातशिप द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विकलांग विद्यार्थियों के प्रोत्साहन एवं सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही योजना

सक्षम

योजना द्वारा लागू :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई)

नई दिल्ली–110001

www.aicte-india.org

जरूरतमंद एवं गुणी विद्यार्थियों को 5 करोड़ रू0 की एक छात्रवृत्ति योजना जिसमें शिक्षण शुल्क तथा आकस्मिक व्यय सम्मिलित है, अभातशिप सम्बद्ध संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रदान की जायेगी। यह उन सभी युवा विकलांग छात्रों के सफल भविष्य तथा आगे अध्ययन की तैयारी हेतु अवसर प्रदान करने का प्रयास है। *छात्रवृत्ति धनराशि विकलांग विद्यार्थियों को महाविद्यालय लक्ष्यों, सीखने के मुद्दों, पर्यावरणीय परिवर्तनों अथवा चिकित्सीय शुल्कों जैसी जरूरतों को सुनिश्चित करेगी।* यह छात्रवृत्ति एक हजार बच्चों को प्रतिवर्ष महाविद्यालय के शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त दस माह तक प्रतिमाह 2000 रू0 की दर से आकस्मिक व्यय हेतु दी जायेगी।

छात्रवृत्ति की मुख्य विशेषताएं

- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति की संख्या : 1000
- प्रत्येक ऐसे परिवार से एक विकलांग विद्यार्थी जिसके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रू0 से कम होनी चाहिए
- तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का चयन अर्हता परीक्षा की योग्यता के आधार पर किया जाएगा
- अभ्यर्थी ने केंद्र/राज्य सरकार के केन्द्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2014–15 के दौरान अभातशिप अनुमोदित संस्थान से किसी में डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हो
- छात्रवृत्ति की राशि : प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क रु. 30,000/– या वास्तविक, जो भी कम हो, रु. 2,000/– प्रति माह की दर से 10 महीनों के लिये आकस्मिक व्यय।

आवश्यक प्रमाण पत्र

- दसवी/बारहवीं/अन्य जो लागू हो, कक्षा की अंक तालिकाओं की प्रतियां
- तहसीलदार या उच्च अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
- विकलांग उम्मीदवारों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
- डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि
- शिक्षण शुल्क की रसीद की प्रतिलिपि
- बैंक पास बुक की प्रतिलिपि जिसमें छात्र का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड तथा फोटोग्राफ हो
- छात्र के पैन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि उपलब्ध हो)
- छात्र के आधार कार्ड की प्रतिलिपि (यदि उपलब्ध हो)
- संस्थान के निदेशक/प्राचार्य/प्रधान द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र
- माता–पिता द्वारा घोषणा का प्रपत्र